

[Shri Jaswant Singh]

time. And I would plead 5 P.M. with the Defence Minister to

bear in mind that a fighting force is only as good as the morale of that force. My esteemed friend,

श्री हरी शंकर भाभड़ा जी ने हिन्दी में पूछा है इसलिए मैं उनको हिन्दी में जवाब दूँगा। उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनने से क्या सैनिक वातावरण नहीं फैल जाएगा और उससे जो हमारे पड़ोसी हैं उससे क्या इसकी परिणति युद्ध में नहीं हो जाएगी और उससे हमारे पड़ोसी चिन्तित नहीं हो जाएंगे। मैं उन से सादर निवेदन करूँगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अर्थ सैनिक वातावरण फैलाना नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से सैनिक वातावरण नहीं फैलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाने से हमारे पड़ोसियों को कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये और उसकी परिणति युद्ध में हो नहीं सकेगी। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता।

I am grateful, Madam Vice-Chairperson, to all the various Members who have participated in this discussion and I do hope we get more opportunities to discuss this matter again.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

Metaphorically speaking, not otherwise, because I think I have still quite a great deal to do and many miles to go, but my time appears to be over as far as this debate is concerned. I thank all the participants who have contributed to this resolution. I thank more particularly the Treasury Benches and the honourable Defence Minister for his contribution and advice in the matter. It is his suggestion that I withdraw this resolution. It was the honourable Defence Minister's suggestion that as we have had a discussion on it, I withdraw the resolution. I am given

urgent public importance

to understand that the convention of this House is also that the mover of the resolution, at the end of the debate in Private Members' Resolutions, withdraws it. I, therefore, withdraw the resolution. Thank you.

**The Resolution was, by leave, withdrawn*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we take up the Calling-Attention motion

SHRI ERA SEZHIYAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, before you take up that item, kindly ask the Minister to make that statement. We wanted him to make a statement on the drought situation and food supplies. He can make it now.

MR, DEPUTY CHAIRMAN: I was told he is not ready with the statement yet. He will make it afterwards.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): I will do it. It is not ready yet.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported non-payment of dues to cane-growers by mill owners in different parts of the country particularly in U.P. and Bihar resulting in accumulation of huge arrears and the consequent hardship faced by cane-growers

श्री धन श्याम सिंह (उत्तर प्रदेश) :
उपसभापति महोदय, मैं देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार

**For the text of the amendment, vide Col. . . . Supra*

में मिल मालिकों द्वारा गन्ना उत्पादकों को देय राशियों का भुगतान न किये जाने के परिणामस्वरूप अदायगी की भारी राशियों के जमा हो जाने के कारण गन्ना उत्पादकों को पेश आ रही कठिनाई के समाचार तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की और खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद): उपसभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्यों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसे मामले पर वक्तव्य देने का अवसर प्रदान किया है जोकि न केवल इस सदन के बल्कि लोक सभा के भी माननीय सदस्यों के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। यह बात गन्ने के मूल्य के बकायों के बारे में दोनों सदनों में जितनी भारी संख्या में प्रश्न उठाए गए हैं और जिनका मैंने उत्तर दिया है, उससे भी स्पष्ट होती है।

वर्ष के पहले तीन महीनों, जबकि पिराई कार्य चरम सीमा पर होता है, में बकायों की राशि में वृद्धि होना कोई असामान्य बात नहीं है। तथापि, जब मौसम समाप्त होने के निकट होता है, तब बकायों की राशि में भी तीव्र गति के साथ कमी होनी शुरू हो जाती है।

इस वर्ष बकायों की राशि की प्रतिशतता में मामूली वृद्धि का एक कारण यह भी हो सकता है कि पिछले वर्ष गन्ने का रिफाई उत्पादन हुआ था और उसके तुरन्त बाद इस वर्ष भी गन्ने की भरपूर फसल हुई है।

इस संबंध में मैं केन्द्रीय सरकार की भूमिका स्पष्ट करना चाहूंगा। केन्द्रीय सरकार केवल गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य ही निर्धारित करती है। जिन 8 मिलों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के

अधिकार में है, उनको छोड़कर गन्ने के बकायों का भुगतान करवाने और अन्य संगत मामलों की सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है क्योंकि उनके पास इस प्रकार का भुगतान करवाने के लिए आवश्यक फील्ड संगठन और शक्तियां होती हैं। केन्द्रीय सरकार गन्ने के भुगतान की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करती है और वह बकायों का तुरन्त भुगतान करवाने के लिए राज्य सरकारों को निदेश जारी करती है।

राज्यों से इस मामले पर आगे कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करने के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने अतिरिक्त बैंक उधार की व्यवस्था करने और मुक्त बिक्री की निर्मुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से खुले बाजार में चीनी के मूल्यों पर निगरानी रखने के रूप में पग उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिलों की पर्याप्त द्रवता बनी रहे जिससे वे गन्ने के मूल्य के बकायों का तुरन्त भुगतान करने में सक्षम हो सकें।

श्री घन श्याम सिंह: माननीय उप-सभापति जी, भारत में गन्ने की फसल मुख्य व्यापारिक फसल में मानी जाती है। इसके साथ ग्रामीण किसान एवं ग्रामीण मजदूर का संबंध जुड़ा हुआ है। यदि हम देखें कि सन् 78-79 में कुल कितना गन्ना भारत में पैदा होता था तो मालूम पड़ेगा कि 3151 हजार हेक्टेयर भूमि में गन्ना पैदा होता था जिसमें से 1634 हजार हेक्टेयर भूमि में केवल उत्तर प्रदेश में पैदा होता था। यदि इन आंकड़ों को 81-82 में देखें तो मालूम पड़ेगा कि 2851 हजार हेक्टेयर भारत के कुल गन्ने के उत्पादन में 1634 हजार हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। जबकि अन्य प्रदेशों में इसकी मात्रा डेढ़ सौ या पीने दो सौ हजार हेक्टेयर के बीच में आती है। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश

[श्री घन श्याम सिंह]

गन्ने के उत्पादन में भारत में प्रमुख स्थान रखता है और लगभग भारत के कुल उत्पादन का 50 से 60 प्रतिशत एरिया गन्ने की खेती का उत्तर प्रदेश में है। यदि हम यह देखें कि देश में गन्ने का उत्पादन कितना होता है तो आपको मालूम पड़ेगा कि महाराष्ट्र में प्रति हेक्टेयर 892.70 क्विंटल होता है, जो 1979-80 के आंकड़े हैं। तामिल-नाडु में प्रति हेक्टेयर 1027.56 क्विंटल पैदा होता है जबकि उत्तर प्रदेश में यह 349.82 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होता है। भारत का औसत 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का है। मेरी इसको बताने की मंशा यह है कि प्रत्येक प्रदेश में गन्ने के उत्पादन की लागत वहाँ के उत्पादन को देखते हुए अलहदा अलहदा आती है। हम एक बेसिक फारमूला इसका बना लें कि उत्पादन लागत प्रत्येक प्रदेश में एक जैसी होगी, तो यह एक जैसी नहीं है। यह प्रदेश-प्रदेश पर वैरी करती है। कल परसों ही मैं अखबार पढ़ रहा था कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में गन्ने के उत्पादन करने में 30 रुपए क्विंटल में कम नहीं लगता है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मैं अपने फार्म की स्थिति जानता हूँ, खेती की स्थिति जानता हूँ, मेरा तो निजी अनुभव है कि खेत के मूल्य पर ब्याज न लगायें या लागत पर ब्याज न लगायें, तब भी मेरे उत्पादन में 25 रुपये प्रति क्विंटल से कम गन्ने का मूल्य नहीं आता है। तो मान्यवर, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गन्ने के भाव उत्तर प्रदेश में निर्धारित किये गये हैं वे 20.50 रुपये हैं, यह उचित प्रतीत नहीं होता है यदि हम भारत सरकार के मूल्य निर्धारित करने के तरीके पर गौर करें तो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने कृषि मूल्य

आयोग का गठन कर रखा है और इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कृषि उपज का मूल्य निर्धारित करने का तरीका अपना रखा है। यदि 81-82 से लेकर अब तक के आंकड़ों पर निगाह डालें तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1980-81 में धान का मूल्य कृषि मूल्य आयोग ने एक सौ रुपये क्विंटल निर्धारित करने की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने 105 रुपये निर्धारित किया उसी वर्ष में। इसी तरीके से 82-83 में आ करके धान की कीमत कृषि मूल्य आयोग ने 122 रुपये करने की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने बड़ी कृपापूर्वक 122 रुपये क्विंटल धान का मूल्य रखा। यही हाल गेहूँ का है। 81-82 में कृषि मूल्य आयोग ने 117 रुपये क्विंटल की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने 117 रुपये मूल्य घोषित किया। 82-83 में कृषि मूल्य आयोग ने गेहूँ की कीमत 142 रुपये के लिए सिफारिश की थी और भारत सरकार ने 142 रुपये रखना घोषित किया। लेकिन गन्ने के साथ यह भेदभाव किया गया है जिसकी वजह से आज यह स्थिति पैदा हुई है। कृषि मूल्य आयोग ने 80-81 में गन्ने का मूल्य 13 रुपये घोषित करने की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने 13 रुपये का बेसिक न्यूनतम मूल्य घोषित किया था। लेकिन 81-82 में कृषि मूल्य आयोग ने 15 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की थी। लेकिन भारत सरकार ने भले ही कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी, महंगाई भी हो गई थी, लेकिन गन्ने का मूल्य 13 रु० क्विंटल किया। यहीं से गन्ने की कीमतों के साथ थोड़ा सा भेदभाव होना शुरू हुआ।

इसी तरीके से 1982 में आपके कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की थी कि गन्ने का मूल्य साढ़े पंद्रह रुपये रखा जाए, जिसको उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, साढ़े तेरह रुपये और दो-दो रुपये ट्रांसपोर्ट कास्ट। मैं नहीं जानता

कि वह कैसे किया था, क्या है, लेकिन भारत सरकार ने गन्ने की कीमत तेरह रुपये क्विंटल ही रखी, जो इस वर्ष बढ़ा कर साढ़े तेरह रुपये की है।

तो मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि क्या सन् 1980-81 में गन्ने का जो उत्पादन मूल्य था क्या वही आज भी उत्पादन मूल्य है, तीन साल के गुजर जाने के बाद भी, जबकि हमने गेहूँ की कीमतों में उस वक्त से साढ़े बाईस प्रतिशत बढ़ा दिये हैं, धान की कीमतें हमने करीब-करीब 22 प्रतिशत बढ़ा दी हैं, तो हमने गन्ने का मूल्य इन तीन सालों में क्यों नहीं बढ़ाया? यह बात देखने की है।

माननीय मंत्री जी, वैसे तो आप ज्यादा अच्छा जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं जानता, आपकी कैबिनेट इकनामिक सब-कमेटी ने एक निर्णय लिया बताते हैं, जिसमें आपने यह कहा है कि गन्ने की कीमतों को जो बाजार में पहुँच गई हैं, उनको वापिस लाया जाए। मुझे यह भी बात हुआ है कि आप माननीया प्रधान मंत्री जी को भी बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वह जो चीफ मिनिस्टर्स का कानफ्रेंस करने जा रही हैं, उसमें वह चीफ मिनिस्टर्स पर दबाव डालें कि गन्ने की कीमतें वह कम करें। मैं समझता हूँ कि यह जो निर्णय आपकी सब-कमेटी ने लिया है, वह न तो उपयुक्त ही है, न वास्तविकता के आधार पर ही है। आप स्वयं ही कास्ट आफ प्रोडक्शन निकाल करके देखें कि गन्ने के उत्पादन पर कितना मूल्य आता है? क्या वह आप काश्तकारों को दे रहे हैं?

ऐसे वक्त में, आप प्रधान मंत्री जी को जो किसानों की हमेशा से ठीक से परवाह करती हैं, उनकी बातों को मुनती रही हैं, आप

उनको समझा कर मूल्य कम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि न तो आपका सुझाव अच्छा है और न ही वक्त के अनुसार है। यदि आपने इस तरीके से कीमत कम करवाने की कोशिश की, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है।

अब मैं आपका ध्यान आज की जो वास्तविक स्थिति है, उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज आपका सन् 1980-81 तक का बकाया जो मिलों के ऊपर कृषकों का है, भारत में करीब 49.29 करोड़ रुपया है। यदि मैं उत्तर प्रदेश की फिगर बतलाऊँ, तो अकेले केवल उत्तर प्रदेश में ही इसमें से 24.41 करोड़ बकाया है, पुराना। यदि इस वर्ष का जो नवम्बर से सीजन आपने स्टार्ट किया है, इसके आंकड़े अगर आपको बताऊँ, तो आँख खुल कर रह जाती है। पूरे भारत में करीब 126.04 करोड़ रुपया बकाया है, जिसमें से 28 फरवरी की अगर उत्तर प्रदेश की फिगर आपको दूँ, तो ६० 95.49 करोड़ उत्तर प्रदेश में किसानों का मिलों के ऊपर बकाया है।

मान्यवर, स्थिति ऐसी है कि भारत में जितना बकाया बता रहा हूँ, उसका करीब-करीब 90 प्रतिशत आपका उत्तर प्रदेश में बकाया है। उस बकाये की वजह से उत्तर प्रदेश के कृषकों की क्या हालत हो गई है, उसको वही जानता है जिसको दर्द होता है। मैं भी एक कृषक हूँ और कृषक असली उसको मानना चाहिए जो खेती की रोटी खाता है, खेती पैदा करके उससे भोजन करता है। हम अपना गन्ना लेकर मिलों को दे आते हैं।

श्री उपसभापति : अब आप सबान पूछिये।

श्री घन श्याम सिंह : थोड़ा सा मुझे बताने दीजिए । अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो और लोग सवाल पूछेंगे ।

श्री उपसभापति : प्रश्न पूछिये ।

श्री घन श्याम सिंह : मुझे पूरी बात तो कर लेने दीजिए । अभी तो मैं तीन-चार मिनट ही बोला हूँ ।

श्री उपसभापति : नहीं, साइब सात मिनट हो गये हैं ।

श्री घन श्याम सिंह : तो मैं उस स्थिति को बताना चाहता था...

श्री उपसभापति : स्थिति का पता है, आप कृपा करके प्रश्न पूछिये ।

श्री घन श्याम सिंह : उत्तर प्रदेश की स्थिति को थोड़ा सा मैं आपको इवेल्यूएट करके बताऊँ, जिसमें आपकी अपनी मिलें भी वहाँ पर चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में 39 मिलें हैं जिनके ऊपर बकाया आज की तारीख में 46.21 करोड़ रुपया है, यानी जितना उन्होंने गन्ना खरीदा है, उसका 37.37 प्रतिशत उनके ऊपर बकाया है । ऐसे ही जो राज्य चीनी निगम की अठारह फैक्टरीज हैं, उनकी तरफ ध्यान डालें, तो उन पर 49.10 प्रतिशत बकाया है । अधिकृत नियंत्रण में जो फैक्ट्रियां वहाँ पर हैं, उनमें 25.17 प्रतिशत बकाया है, शासकीय रिसीवरशिप में जो दस फैक्टरीज हैं, उन पर 46.47 प्रतिशत है ।

मान्यवर, कोम्पारेटिव की जो मिलें हैं, उन पर 61.97 प्रतिशत आज की तारीख में बकाया है, वह रुपया जितना उन्होंने गन्ना खरीदा है । मान्यवर, मैं आपकी तरफ इशारा करके कहना चाहता हूँ कि आपकी केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में जो चार-पाँच फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश

में चल रही हैं, उनमें 71.97 प्रतिशत बकाया है । उन फैक्टरीज में से किसी तरीके से आपने एक का भुगतान कर दिया है, जिसके कारण 71.97 है, वरना जो फैक्टरीज गन्ना लेने के बाद बकाया में हैं 28 फरवरी तक, उन्होंने एक नया पैसा मूल्य का दिया ही नहीं है । यह आपकी फैक्ट्रीज की हालत है ।

साथ ही एक बात और भाव के मिलसिले में बताना चाहता हूँ । उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली दफा भाव निश्चित किया था, 20 रुपये 50 पैसे और 21 रुपये 50 पैसे । हमारे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मिलें भी भाव दे रही हैं, कोम्पारेटिव मिलें भाव देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन, मान्यवर, आप वह भाव कृषकों को नहीं देना चाहते, जो हमारी सरकार ने तय कर रखा है । आपका भाव बेरी करता है 17 रुपये 40 पैसे से 18 रुपये 85 पैसे तक । तीन फैक्टरी आपकी 17 रुपये 40 पैसे, एक फैक्टरी 17 रुपये 60 पैसे और एक फैक्टरी 18 रुपये 85 पैसे दे रही है । इस तरह से आप वह भाव भी नहीं दे रहे हैं जो वहाँ मिल रहा है । दुर्भाग्य से मुझे इसलिये मजदूरों में कहना पड़ रहा है कि मैं उस फैक्टरी के क्षेत्र में गन्ना देता हूँ, जिसमें 28 फरवरी तक पूरा गन्ना लेने के बाद एक भी नया पैसा अदा नहीं किया । अलीगढ़ में वह फैक्टरी है नवम्बर से 28 फरवरी तक गन्ना ले कर आप एक भी पैसा कृषक को न दें तो कहां से वह मजदूरों को मजदूरी दें । जो उसके यहाँ कटाई करते हैं । यह समस्या हम लोगों के सामने है । इस कारण किसान के सामने उसकी रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है । किसान के सामने उसकी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की कृप करने की समस्या खड़ी हो गयी है । किसान के

मानव जो उत्सारा देते हैं, जिनको बसूलो आप सक्षमों से करा रहे हो उनको अदा करने की समस्या खड़ी हो गयी है। यही मत समझिये कि गन्ना उत्पादक ही इसमें एफेक्टेड है, वह भी एफेक्टेड है, जो ग्रामीण मजदूर हैं, जो रोजाना मजदूरी करते हैं, किसान के पास जाते हैं, पैसा लेते के लिये तो वह कहता है कि आज फ़ैक्टरी ने पैसा नहीं दिया, पैसा कहाँ से लायें। ऐसे विषम समस्या पैदा हो गई है जिससे ग्रामीण व्यवस्था पूरी चरमरा गई है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आपने बड़े-बड़े अच्छे कानून बना रखे हैं। प्रदेस कानून बनाते हैं, आपको कानूनसे से। लेकिन क्या उन कानूनों का पालन होता है। आपने देखिये कर रखा है कि जो चीनी मिलें जितनी चीनी बेचेंगी, उसका 80 परसेंट, 85 परसेंट गन्ने के मूल्य को अदायगी में जायेगा। लेकिन यह आप के राज्य में नहीं हो पा रहा है।

साथ ही साथ, आपने एक और प्रावधान कर रखा है कि जो गन्ने का मूल्य बकाया रह जायेगा और 14 दिन के बाद कोई फ़ैक्टरी अदा करती है तो उसको ब्याज सहित पैसा देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आज तक उन्होंने किसी को ब्याज दिलवाया है? मैंने पिछली दफा 1977 से 1980 के बीच में कोषिण की थो दिलवाने की। मैं आर-बीट्रेशन में गया, एक फ़ैक्टरी पर डिग्री भी हो गयी, तीन माल हो गये हैं, मैं चाहता था कि डिग्री का रूपया ही किसानों को दे दिया जाये, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार वह भी नहीं दिलवा पाई है। यह मैंने आपकी जानकारी के लिये बताया है।

आखिर यह विषम परिस्थिति क्यों आई। जब तक इण्डस्ट्री ठीक से काम कर के पैसा नहीं देती तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इण्डस्ट्री के सामने समस्या यह है कि हम 65 परसेंट तो लेवी में लेते हैं। हमने एक निश्चित भाव कर रखा है कि इस भाव पर लेंगे। इण्डस्ट्री से कह दिया है कि 65 परसेंट के बाद जो बाकी चीनी बचती है, उसको खुलेबाजार में बेचें और जो भाव मिलता है उससे जो लेवी में भाटा होता है, उसको पूरा करें और जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, वह दें। चीनी मिलों का सामर्थ्य नहीं रहो है कि वह गन्ना उत्पादकों को एनाउन्स्ड प्राइस दे सकें, आपको लेवी की चीनी दे सकें। आप न तो अपना एक्साइज माफ करना चाहते हैं, न स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स माफ करना चाहती है। जब चीनी मिलें नहीं रहेंगी, तब हम कल कहाँ से लेंगे? हम चाहेंगे, चीनी मिलें ठीक से चनें, उनको लाभ न हो तो हानि भी नहीं होनी चाहिये। गन्ना उत्पादक को भी कास्ट आफ प्रोडक्शन देना ही होगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से...

श्री उपसभापति : प्राप समाप्त करिये।

श्री घनश्याम सिंह : समाप्त कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मंत्री जी से तीन-चार सवाल पूछना चाहूँगा।

श्री उपसभापति : सबाल सब हो गये आपके।

श्री घनश्याम सिंह : आपने कृषि उपजों के मूल्य निर्धारित करने हेतु कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को आधार माना है, तो गन्ने के संबंध में उसकी सिफारिशों को क्यों नहीं माना, यह बताने की कोशिश करें। 1980 में जो भाव 13 रुपये क्विंटल तय किया था, आज

[श्री धनश्याम सिंह]

भी वह आपने साढ़े 13 रुपये क्विंटल कर रखा है, इसका क्या औचित्य है, क्या कोई मंहताई इस बीच में नहीं हुई है? साथ ही गेहूं का भाव जितने परसेंट बढ़ा है, उतना ही गन्ने का बढ़ाने का विचार करें। उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष जो भाव था, इस वर्ष भी एनाउन्स किया है, सभी चीनी मिलें, चाहे वे निजि क्षेत्र की हैं, या किसी भी क्षेत्र की हैं, वह भाव दे रही हैं, तो आप भी घोषणा करें कि आपको जो मिलें घाट कान कर रहा है, वह भी वही भाव देंगे। बाक़ी का स्थिति को देखते हुए सबसे ज़ादा बलावा आपको मिलों का है। आप उनका तुरन्त भुगतान करने का कष्ट करें। आप उनको तुरन्त भुगतान कराने की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गन्ने का मूल्य बढ़ा करने के लिये 20 करोड़ रुपये कर्ज देने के लिये आवेदन कर रखा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे वित्त मंत्री से सिफारिश कर के उत्तर प्रदेश सरकार को यह धन देना दें ताकि वह भुगतान कर सके। मैं मंत्री जी से यह भी आग्रह करूंगा कि गन्ने के उद्योग को ध्वाने के लिये कुछ प्रभावी कार्यवाही करें ताकि उद्योग भी बचे और उत्पादक को भी देखा जा सके और कंज्यूमर को भी ठोक दाम पर चीनी मिले।

अन में मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब प्रान्तीय सरकार गन्ने

को मूल्य पर ब्याज नहीं दिला सकती तो केन्द्रीय सरकार क्या मूक दर्शक बन कर बैठी रहेगी और कोई कार्यवाही नहीं करेगी या फिर यही जवाब दे देगा कि यह राज्यों का सब्जेक्ट है और हम को इस से ही संतोष कर लेना पड़ेगा। हम तो इस से संतोष नहीं कर पाते।

श्री उपसभापति : स्टेट आटोनामी की इतनी बातें हो रही हैं...

श्री धनश्याम सिंह : इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप कोई प्रभावी कार्यवाही करें और उसको अमल में लायें।

श्री उपसभापति : आप सब लोग सहमत हों तो मंत्री जी सभी बातों का एक साथ जवाब दे देंगे क्योंकि वही बातें बार-बार कही जायेंगी और उनको सुना जायेगा।

श्री रामनरेश कुशवाहा : (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं भाई धनश्याम सिंह जी का कि उन्होंने बहुत सी बातों को पहले ही कह दिया है। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो आपने कृषि मूल्य आयोग बनाया है यह किस काम के लिये है क्योंकि इसकी सिफारिशों को कभी माना नहीं जाता। चाहे कम हो या बेशी हो, लेकिन हमेशा राजनीतिक निर्णय लिया जाता है। तो फिर यह सफेद हाथी पाल कर आप क्यों इसको चारा

दे रहे हैं। क्या जरूरत है इसकी ? और अगर कुछ मानते हैं, तो ऐसा जैसा कि उन्होंने कहा गन्ने के मामले में क्यों नहीं मानते हैं ? मूल्य आपने तय किया। कृषि मूल्य आयोग के विपरीत जाकर तय किया। कम दाम तय किया जब कि हर चीज का दाम सवाया और इधोड़ा हो गया है तो गन्ने के दाम घटाने का क्या मतलब है ? क्यों गन्ने का दाम घटाया है और अगर आप बड़े उद्योगों को सब्जी-बी दे सकते हैं, उनको बचाने के लिये और अन्य उद्योगों को घाटा पूरा कर सकते हैं, तो गन्ने और चीनी जैसे उद्योग को, जिसका किसान से इतना ज्यादा संबंध है, जो किसान की जिन्दगी और मौत के साथ जुड़ा हुआ है, उसको जिन्दा रखने के लिये आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। बकाया-दारी में आपका कोई सानी नहीं है। अभी भाई ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आड़े यह है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा लेकिन सब से बड़े बकायादार आप हैं और आप की केवल 8 मिलें हैं। तो मैं नहीं समझता कि आप का जब 71 परसेंट बकाया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार या प्राइवेट मिल मालिक का कितना बकाया रहना चाहिये। आपके पास सारे साधन हैं, पैसा है, निर्णय लेने की शक्ति है। इतना ही नहीं, 20 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार अगर कर्ज मांगती है, दाम निपटाने के लिये तो उसको आप नहीं दे रहे हैं। क्यों आप ने उसे लटका रखा है ? अभी वदायूं में मैं गया था। 44 किसान वहां अनशन कर रहे थे। हमने सत्याग्रह किया। उसमें 106 आदमी गिरफ्तार हुए सत्याग्रही। फिर पता नहीं उनका क्या हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के आन्दोलन, प्रदर्शन हर जगह चल रहे हैं। आखिर आप

क्या चाहते हैं। किसान जब तक आंदोलन नहीं करेगा, जेल नहीं भरेगा या और कोई रास्ता नहीं अपनायेगा तब तक उस के साथ आप क्या न्याय नहीं करेंगे ? एक दिन की तनख्वाह अगर रोक दी जाय या एक महीने की तनख्वाह सरकारी कर्मचारियों की या संसद सदस्यों की रोक दी जाये या मंत्रियों की रोक दी जाय तो पता नहीं क्या क्या बवेला मच जाएगा। किसान 6 महीने और साल भर तक उधारा पर काम करता है और उस के बाद फिर 3 साल और उधार अगर उस का पैसा रखा जाय तो वह जिन्दा कैसे रहेगा ? और सारे उत्तर प्रदेश में अगर चीनी मिलों को दो रुपये 50 पैसे का फौसला हुआ है और स्वीकार कर लिया गया है, तो आप कहें कि हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप की यह 5 मिलें क्यों नहीं दे रही हैं। तो आखिर आप कौन सी व्यवस्था चलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 86 मिलें तो 20 रु. 50 पैसे दें और आपकी पांच मिलें 18 रु. 55 पैसे दें, कहीं 17 रु. 60 पैसे दें, कहीं 17 रु. 40 पैसे दें। यह कौन सा न्याय है ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बताया है वह 24-41 करोड़ रुपया तो पिछला बकाया है और इस साल का बकाया है 95-49 करोड़ जो कि 28 फरवरी तक का है और आज तक वह 70-75 करोड़ हो गया होगा। तो लगभग दो अरब रुपया उत्तर प्रदेश में बकाया है। बिहार में और दूसरे राज्यों में कितना बकाया है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही दो अरब रुपया बकाया है। इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? एक तरफ किसानों की कुर्की की जा रही है, बमूली बढ़ दे रहा है, उनकी 21 पैसे के लिए कुर्की की जा रही है, उसका सामान

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

कुर्क किया जा रहा है, उसको मरने दिया जा रहा है और आप सारा पैसा रखे हुए हैं। गन्ने की पर्वी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। 20-25 परसेंट कमीशन लेकर किसानों को बन्धक बना रखा है।

इतना ही नहीं, मैंने इस सदन में बार बार कहा था कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ और सूखा दोनों हैं। नदी के किनारे बाढ़ है और पेट में सूखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को एक पैसा भी सूखे के नाम पर आपने नहीं दिया है। सारे उत्तर प्रदेश में सूखे का असर हुआ है। 164 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश ने सहायता के रूप में मांगा, लेकिन आपने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपके पास ऐजेन्सी है, आपने जांच क्यों नहीं करवाई कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितना सही बोल रही है। इसका असर गन्ने पर भी पड़ता है।

श्री उपसभापति : इसका जवाब वह कैसे देंगे?

श्री राम नरेश कुशवाहा : मान्यवर, सूखे का असर गन्ने पर भी पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के साथ आप सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार की मदद करते तो वह गन्ने के दाम किसानों को देती। आपने उत्तर प्रदेश की सरकार को मजबूर किया है कि वह सारा संशुद्ध अपने सिर पर डाले और आप यहाँ पर मौज करें।

श्रीमन्, गन्ने के बारे में मैंने स्पेशल मेशन में भी बताया था कि आपने वहाँ पर सीमा बांध दी है, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमा बांध दी है, रिजर्वेशन

urgent public importance

कर दिया है कि फलों क्षेत्र का गन्ना फलों मिल में ही बेचा जाएगा।

श्री उपसभापति : यह तो उत्तर प्रदेश सरकार करती है... (व्यवधान)

श्री राम नरेश कुशवाहा : उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सुनती है, आप नहीं सुनते हैं तो कौन सुनेगा। आप हटाइये उस सरकार को अगर वह नहीं सुनती है तो। यह उत्तर प्रदेश का मामला है, इसको कहना ही पड़ेगा। वह कहती है कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो आप क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? आप उत्तर प्रदेश की सरकार को मजबूर कीजिए कि तुमने सीमा बांध रखी है तो जिस मिल में गन्ना जाएगा उस मिल को सारा का सारा गन्ना पैरना पड़ेगा। उसका सारा नुकसान जो होगा उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ले या आप लें, जो भी लें, किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए।

अन्त में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी भुगतान करवाने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कर्जा मांगा है वह उसको दीजिए और जो सूखे के लिए उसने सहायता मांगी है वह देने का प्रबंध कीजिए और अधिक से अधिक सहायता करके भुगतान कराइये और गन्ना पैरने का इंतजाम करवाइये वरना बहुत संशुद्ध मच जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमारी इस राय से मंत्री जी भी सहमत होंगे क्योंकि उनके भी इलाके में गन्ना होता होगा।

डा० महावीर प्रसाद (बिहार) : महोदय, मैं बिना किसी भूमिका के दो-तीन बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मैं कह रहा था कि खेती आज लाभकर नहीं हो रही है और लोग खेती पर से हटते जा रहे हैं।

जबकि यह देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन जो लोग भी खेती पर लगे हुए हैं अगर उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलता या जितना भी लाभ उन्हें मिलना चाहिये वह भी नहीं मिले तो खेती करने का कोई मतलब नहीं होता। अभी गन्ने के बारे में मैं जिज्ञास करना चाहूंगा। मंत्री जी ने बताया कि भारतीय सरकार का काम सिर्फ मूल्य तय करना है बाकी काम राज्य सरकारों का है। मूल्य भारत सरकार ने तय किये 13 रुपये प्रति क्विंटल जबकि इसको लिये इन्होंने जो कृषि मूल्य आयोग बैठाया उसकी सिफारिश भी इन्होंने नहीं मानी। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद एग्री एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1981-82 के आंकड़ों के अनुसार एक क्विंटल गन्ने का शुद्ध लागत मूल्य 29.6 रु० और जमीन का किराया सुद आदि मिला देने पर 32.48 रु० प्रति क्विंटल आता है। जब एक क्विंटल के दाम इतने आते हैं खेती करने पर लेकिन उससे बहुत कम कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की कि 15.50 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए तो सरकार ने उस को भी न मान कर सिर्फ 13 रुपये प्रति क्विंटल रखा। तो क्या केन्द्रीय सरकार के जिम्मे जो काम है उसने उस भावना का ध्यान रखा? क्या उस स्थिति का जायजा लिया गितके अनुसार कृषि प्रधान देश में कृषि में लगे लोगों को लाभ हो सके?

दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या कारण है 1980-81 में प्रति क्विंटल गन्ने का दाम जो 22 रुपये था वह घट कर 1981-82 में 21 रुपये रह गया और फिर उससे भी घट कर 82-83 में उससे भी नीचे चला गया। एक तरफ जहाँ गन्ने का मूल्य किसानों को मिलना चाहिये वह प्रतिवर्ष घटता

चला जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी की कीमत बढ़ती जा रही है। किसानों को दाम कम मिलता जा रहा है, चीनी की कीमत बढ़ती चली जा रही है यह विरोधाभास मेरी समझ में नहीं आता इसलिये सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि और आप लोगों से आग्रह भी करते हैं कि देश का उत्पादन बढ़ायें। देश का उत्पादन बढ़ाने के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। इस हद तक बढ़ा है कि 1980-81 में 51 लाख टन था तो 1981-82 में वह बढ़ कर 84 लाख टन हो गया और 1982-83 में इससे भी ज्यादा टन बढ़ गया। एक तरफ गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और दूसरी तरफ आप गन्ने की कीमत प्रतिवर्ष कम करते चले जा रहे हैं और तीसरी तरफ चीनी की कीमत बढ़ती चली जा रही है। इसका लाभ किस को होता है? किसान को घाटा, खरीदने वाले को घाटा तो मुनाफा किस को? मुनाफा है सिर्फ विचोलिये को। जो उद्योगपति होता है उसको मुनाफा होता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं सांठगांठ है। सांठगांठ न हो तो जो मिल मालिक है उनको क्यों लाभ पहुँच जाता है? ऐसे मिल मालिक को लाभ पहुँचता है जो किसानों का बकाया रखता है। मैं बिरला का नाम लेना चाहता हूँ। वह मिल मालिक भी है और कई चीनी मिलों का भी मालिक है। एक तरफ जो चीनी मिल मालिक किसानों को तबाह करने में लगे हुए हैं उसको आप रिजर्व बैंक में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त करते हैं, उसको तरजीह देते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं वह किसानों को लूट सकने में सक्षम या समर्थ हो पाता है कहीं न कहीं

[डा० महाधर प्रसाद]

आपकी सहायता से हो। दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूँ कि इंडियन चैम्बर आफ कामर्स के चेयरपेन अशोक जैन ने भी स्वयं स्वीकार किया कि 60 करोड़ से अधिक रुपया किसानों का बकाया है। अगर इस वर्ष बकाए रुपये को जोड़ दिया जाए तो 220 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाता है जो किसानों का बकाया है। किसानों का रुपया जो मिल मालिकों पर बकाया है वह उनको अभी तक नहीं मिला है। नियम यह भी है कि अगर 15 दिन तक किसानों को मिल मालिकों द्वारा गन्ने की रकम का भुगतान नहीं होता तो उनको उसका सूद भी मिलना चाहिये। आप सूद किसानों को नहीं देते। लेकिन वह रुपया जो किसानों पर बकाया है उस पर सूद आप उनसे वसूल करते हैं। जबरन करते हैं या जैसे भी करते हैं। आप किसानों से सूद वसूल करते हैं पर आप मिल मालिकों पर जोर नहीं डालते कि वह किसानों का पैसा वापस कर दे। लेकिन किसानों की नियमों के अनुसार जो रुपया मिलना चाहिए, जो सूद मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि बिहार राज्य को बिहार सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है, सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए था। मैं इस वक्त उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी बिहार से आता हूँ और मंत्री महोदय भी बिहार से आते हैं। उस राज्य में सूखे के कारण क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यहां पर शीघ्र राहत दी जाय। अगर आप किसानों को उनका बकाया नहीं देंगे, उनको राहत नहीं पहुंचाएंगे तो किसानजिये तो कैसे जिये? इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सरकार मिल-मालिकों से किसानों

को उनके बकाया का पैसा शीघ्र दिलवाये। अभावग्रस्त और सूखाग्रस्त स्थिति में किसान कैसे जिये? एक तरफ तो सूखे की स्थिति है और दूसरी तरफ मिल-मालिकों से उनको रुपया नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि निश्चित तौर पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार पर दबाव डाले और मिल-मालिकों से कहे कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों को उसकी बकाया राशि शीघ्र मिल जाये।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि तीन चार साल पहले बिहार सरकार ने मिलों को टेक-ओवर की थी। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने जिक्र कर दिया, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने इजाजत नहीं दी जिससे कि इन मिलों को टेक-ओवर किया जा सकता। मिल-मालिकों पर कोई दिककत आती है तो आप उनको फौरन मदद पहुंचाने पहुंच जाते हैं, उनको बचाने लगते हैं। मिल-मालिकों को जब घाटा हो जाता है तो बैंकों से उनको रुपया दिया जाता है। सरकार उनके लिए व्यवस्था करती है। लेकिन किसानों को जब दिककत आती है तो उनकी मदद नहीं की जाती है उनकी बकाया राशि नहीं दी जाती है। मैं इस संबंध में कुछ मिलों का नाम लेना चाहूंगा। बिहार में सारी, रैयान और लोहटा मिलें हैं जिन्होंने किसानों का काफी बकाया रुपया नहीं दिया है। एक तरफ तो किसानों को उनकी रकम नहीं मिलती है और दूसरी तरफ जो छोटे किसान होते हैं, कमजोर किसान होते हैं उनका ईख समय पर नहीं खरीदा जाता है। कई बार किसानों को दो रुपया और तीन रुपया में ईख बेचना पड़ता है। किसानों की ईख समय पर नहीं खरीदने के कारण उनको बहुत घाटा होता है। अरुण से

लेकर अगस्त तक गर्मी पड़ने के कारण किसानों का ईख सूख जाता है और उससे उतना रस नहीं निकलता जितना निकलना चाहिए इस से किसानों को घाटा होत है। इसलिए मेरा आग्रह है कि कोई न कोई व्यवस्था निश्चित तौर पर होनी चाहिए जिससे किसानों का ईख समय पर खरीद लिया जाये और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।

श्री उपसभापति : इन प्रश्नों का मंत्री महोदय क्या जवाब देंगे ? आप विषय पर बोलिये और जल्दी समाप्त कीजिए ।

डा० महाबोर प्रसाद : मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसानों की जो बकाया राशि है उसको शीघ्र उनको दिलवाया जाये। गांवों में जो अभाव और सूखे की स्थिति पैदा हो गई है और जो भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है उससे किसानों को बचाया जाये। इस संबंध में किसानों को जो भी राहत पहुंचाई जा सकती है वह शीघ्र पहुंचाई जाये। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ऐसी नीति बनाइये जो किसानों के हक में हो और मिल मालिकों के हक में न हो। अभी हालत यह है कि ज्यादातर मिल मालिकों को ही लाभ पहुंचता है। किसान इस देश की रीढ़ हैं। देश का आर्थिक ढांचा किसानों की खुशहाली से ही सुरक्षित रह सकता है। मिल मालिकों के हित में बनाई जाने वाली नीति से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : श्रीमन् सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें उसने यह कहा है कि गन्ने की बाकी कीमत रहने का प्रधान कारण यह है कि गत वर्ष और इस वर्ष भी गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ और इसलिये गत तीन माह के दर-

मियां जो पिराई हुई है उसका आधिकार पैसा किसानों का बाकी है। श्रीमन् जैसा कि आप जानते हैं गत साल किसानों का 5 सौ करोड़ रुपया बाकी था, मिल मालिकों के पास। उत्तर बिहार में ही 2 करोड़ रुपये गन्ने की कीमत बाकी थी, अभी कुछ घटा है। लेकिन फिर भी अभी भी गत साल की कहीं कहीं कीमत किसानों की मिल मालिकों के ऊपर है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि इस साल का या गत साल की जो कीमत गन्ने की मिल मालिकों के पास है क्या सरकार उनका अविलम्ब भुगतान करायेगी ?

दूसरी बात जो बाकी कीमत होती है उस पर 14 दिन के बाद, 15 दिन के बाद किसानों को सूद का भुगतान करना पड़ता है, मिल मालिकों द्वारा और जिला मजिस्ट्रेट इसके लिये जिम्मेदार बनाया गया है। जहां तक मुझे जानकारी है वह यह है कि इसके लिये व्यक्तिगत रूप से किसानों को जिला मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन देना पड़ता है और इस कारण यह मामला बहुत ही पेचीदा हो जाता है। हर किसान जिला मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन पत्र देगा अन्यथा किसान को सूद का भुगतान नहीं होता। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि 1978 में सरकार ने शुगर केन कंट्रोल आर्डर का जो अमेंडमेंट किया था उसमें कोई ऐसा अमेंडमेंट सरकार करेगी ताकि किसानों को जिला मजिस्ट्रेट, स्वयं, स्वतः अपने आप सोवा मोटों किसानों को सूद दिलवा सके ?

तीसरी बात मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने गन्ने की कीमत तय की 13 रुपये प्रति क्विंटल और राज्य सरकारों को इस बात के लिये छोड़ दिया कि वे गन्ने की कीमत स्वयं अपने राज्यों में तय करें। इसके अनुरूप शू० पी० की सरकार ने गन्ने की

[श्री सूरज प्रसाद]

कीमत तय की और इसी के अनुरूप बिहार की सरकार ने गन्ने की कीमत तय की। बिहार सरकार ने 20.50 पैसा और यू० पी० सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20.50 पैसा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 21.50 पैसा मूल्य निर्धारित किया। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि जब सरकार की यह घोषणा हो गई तो बिहार की जो मिलें हैं वे मिलें किसानों को 14 रुपये से 18 रुपये गन्ने की कीमत का क्यों भुगतान कर रही हैं? बिहार की सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी है? सरकार ने अपने बयान में कहा है कि गन्ने की कीमतों का भुगतान राज्य सरकारें अगर नहीं कराती तो केन्द्रीय सरकार उनको डाइरेक्शन देती है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार को इस बात का डाइरेक्शन देगी कि बिहार की जो मिलें हैं जो किसानों को 14 रुपये से 18 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत भुगतान कर रही हैं, उन्हें 20.50 रुपये प्रति क्विंटल जो राज्य सरकार ने निर्धारित की है वह कीमत सरकार उनको दिलायेगी?

दूसरी बात जो मैं इस सम्बन्ध में सरकार से कहना चाहता हूँ कि यहां कृषि मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह ने कहा था कि हमने तो 13 रुपये तय किये हैं, राज्य सरकारों को दाम तय करना है और जो दाम राज्य सरकारें तय करेंगी वह मिल मालिकों को भुगतान करना है। उनके इस डाइरेक्शन का, उनके इस बयान का भी उल्लंघन, घनघोर उल्लंघन बिहार और उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सलिये सरकार को इस संबंध में क्या कहना है यह मैं जानना चाहता हूँ।

चौथी बात जो मुझे इस सम्बन्ध में कहनी है वह यह है कि 1979-80 में

सरकार ने शुगर केन का मिनिमम भाव 12.50 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था और उस समय लेवी शुगर का दाम 2 रुपये 15 पैसे तय किया था। अब शुगर, लेवी शुगर के दाम 3 रुपये 75 पैसे हैं और गन्ने की कीमत 13 रुपये है। सरकार जानती है कि लेवी शुगर की बुनियाद पर ही, लेवी शुगर के उपयोग की बुनियाद पर ही गन्ने की कीमत तय होती है। अगर लेवी शुगर के दाम 3.75 रुपये हुआ जो उस वक्त से 1 रुपये से भी ज्यादा है तो ऐसी अवस्था में गन्ने की कीमत महज 12.50 रुपये, 13 रुपये तय करने का क्या औचित्य है। जब कि आपने मिल मालिकों को इतना अधिक लाभ दे दिया है लेवी शुगर में तो आपने किसान के गन्ने की कीमत क्यों नहीं बढ़ाई। जब इन्होंने स्वयं खाद्य वस्तुओं की कीमत 60 प्रतिशत बढ़ा दी है, उत्पादन की तमाम कास्ट में वृद्धि हो गई है ऐसी अवस्था में गन्ने की कम कीमत का भुगतान करना क्या किसान विरोधी कार्य नहीं है और सरकार की यह नीति मिल मालिक-पक्षी नहीं है? मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि बिहार के अन्दर किसान की एक दूसरी लूट है और वह लूट है पुरजी की विक्री, किसान मिल से पुरजी हासिल करता है और पुरजी हासिल करने के बाद या तो बैलगाड़ी पर या ट्रैक्टर पर या ट्रक पर गन्ना लाद कर ले जाता है। उस पुरजी को हासिल करने में किसानों को 10 रुपये से 60 रुपये तक का भुगतान करना पड़ता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या बिहार के अन्दर कोई कानून है या नहीं? अगर यह बात सही है तो सरकार पुरजी की विक्री में जो गलत रुपया किसानों से एक्सट्रैक्ट कर

रही है उसको बन्द करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

में निवारित की गई उनके भुगतान करने की दिशा में सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है ?

गत साल गन्ने की पेराई का जहाँ तक प्रश्न है, 10 प्रतिशत किसानों का गन्ना खेत में खड़ा रह गया और किसान का गन्ना सूख गया। इस साल बिहार के अन्दर नवम्बर मास के स्थान पर जनवरी में चीनी मिल खुली हैं। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि मिलें अधिक दिनों तक देर से खुले इस साल भी गन्ना बिना पेराई के बिना कृषिग के खेत में खड़ा रह जाएगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस तरह से किसानों को बहुत अधिक घाटा उठाना पड़ेगा, ऐसी अवस्था में क्या सरकार मिलों को लम्बे अरसे तक खुला रखने के लिए बाध्य करेगी ताकि किसानों के तमाम गन्ने को पेरा जा सके।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर सरकार की नीति क्या है। एक साल गन्ने की कीमत साढ़े बीस रुपये प्रति क्विंटल निश्चित हुई यू० पी० और बिहार के अन्दर। इस साल सरकार ने गन्ने की कीमत घटा कर साढ़े बीस रुपये कर दी है। उपसभापति महोदय, आप जानते हैं 1978 में गन्ने का दाम घटाया गया था इसका असर यह हुआ कि गन्ने का उत्पादन देश के अन्दर कम हो गया और चीनी बाजार के अन्दर 16 रुपये, 18 रुपये और 20 रुपये प्रति किलो तक बिकी थी। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस उत्पादन वर्ष में प्रोडक्टीविटी ईयर में सरकार की क्या नीति होने जा रही है ? क्या सरकार की नीति किसानों को दण्डित करने की है या किसान को अधिक उत्पादन के लिए वरदान देने की है ? सरकार क्या चाहती है ? इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि गन्ने की जो कीमत राज्यों

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal); Mr. Deputy Chairman Sir I want to put three questions only.' In the last part of the statement the hon Minister has stated;

"The Central Government has taken steps in the form of provision of additional bank credit and monitoring sugar prices in the open market through the free-sale release mechanism to see that the liquidity of the mills is maintained sufficiently to enable them to clear the cane price arrears quickly."

It indicates that the dual price mechanism that the Centre is following in the matter of sugar is in order to enable the sugar mill-owners to achieve adequate liquidity so that they can pay the cane-growers. Yet not only from the speeches made here but also from the statement of the Minister it is clear that the sugar mill-owners are not paying the price of the cane purchased from the cane-growers in time. So naturally one can conclude from this that though the Government has been following the dual price policy in order to enable the sugar mill-owners to achieve adequate liquidity to pay the cane-growers, actually these sugar mill-owners are diverting this money to other ends and amassing super-profits while fleecing the buyers of sugar as well as denying the dues to the cane-growers. So the basic question is this. In view of this experience that despite the dual price policy the sugar mill-owners are diverting this fund towards other ends instead of paying to the cane-growers, is the Centre considering withdrawal of the dual price policy for sugar? Because, it is very clear from this statement that despite this dual price policy, the sugar mill-owners are still denying the cane-growers payment in time. The second question is, it has been admitted in

[Shri Dipen Ghosh]

the statement itself that ^{there is some} delay in the payment of prices to cane-growers. May I know from the Government what is the normal period of delay and whether there are still arrears beyond this normal period of delay and, if so, what steps the Centre has been taking to obviate such delay? My third question is—though some Members also have stated it—there is a system of paying interest to the cane-growers if there is delay in payment. Yet, it is our experience that neither the price is paid nor the interest. Therefore, will the Government consider setting up of any mechanism to compensate the delay by paying interest? My fourth and last question—It is not directly connected with it but, however, it is connected with the word "sugar"—which I am placing before the Minister, taking advantage of his presence is this. You know I hail from West Bengal and, as regards sugar, it is a deficit State and the entire requirement of sugar is not met by the Centre. Whatever they want, they are given only 50 per cent or so. Will the Minister take care to see that the entire requirements of the State of West Bengal is given?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think this part of your statement is not correct. You can take any amount of sugar.

श्री लालन सिंह : (उत्तर प्रदेश) :
मैं उन बातों की ओर नहीं जाऊंगा जो अब तक माननीय सदस्यों के कही हैं...

श्री उपसभापति : बहुत प्रश्न पूछे हैं, दोहराइये नहीं, दोहराने से फायदा नहीं है।

श्री लालन सिंह : मैं गन्ने की समस्या के दूसरे पहलू पर जाना चाहता हूँ जो बहुत ही भयंकर है और वह यह है कि अभी तक बिहार और उत्तर प्रदेश में 15, 20 परसेंट से अधिक गन्ने की पेराई

नहीं हुई है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या सरकार शेष गन्ने का सर्वे कराएगी उत्तर प्रदेश और बिहार में और जब तक गन्ना नहीं पेरा जायेगा तब तक मिल मालिकों को आदेश देगी कि वे गन्ने की पूरी पेराई करें। जो शेष गन्ना रह जायेगा किसानों का, क्या उसके लिए आप स्टेट गवर्नमेंट को मैसेज देंगे कि उसका सुझाव दिया जाए।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि कुछ मिल इतनी अच्छी हैं जैसे नैनीताल की किच्छा शूगर मिल है, सहकारी क्षेत्र में चलती है, सबसे देर में शुरू हुई थी और आज भी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रही है तथा किच्छा के आस-पास के क्षेत्र का साढ़े चार लाख विन्टल गन्ना बाजपुर क्षेत्र सहकारी चीनी मिल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है, जहाँ गन्ना पहले से बहुत है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कितनी मिल देश के अन्दर हैं कितनी हैं जिन्होंने देर से काम शुरू किया है और काम कर रही हैं लेकिन उनमें पूरी क्षमता से काम नहीं हो रहा है? इसलिए भी किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है।

तीसरी बात, यह है कि कृषि मूल्य निर्धारण आयोग में देश के किसानों का विश्वास हट चुका है तो इस अविश्वास के कारण क्या मंत्री महोदय इस आयोग को भंग करेंगे?

चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक ओर तो किसान ऋणों के कारण मारा जा रहा है, खेत में गन्ना खड़ा है, उसको पिछली रकम नहीं मिल रही है तो दूसरी ओर उसके पास कुर्की और वारण्ट आ रहे हैं। बैंकों और अन्य ऋण एजेंसियों का ऋण तथा ब्याज

urgent public importance

चुकाना है, इसलिए उसकी बसूलियाँ आ रही हैं। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जब तक किसानों को पूरे गन्ने का बकाया अदा न हो जाए, तब तक के लिए राजस्व के, बैंकों के तथा अन्य सहकारी कृषि समितियों की बसूली को रोकेंगे कि नहीं ?

पांचवीं बात, आप नियम बनाते हैं और टाल देते हैं कि राज्य सरकारों का जिम्मा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नियम आप बनायेंगे और उसका क्रियान्वयन राज्य सरकारें करेंगी और आप अपनी जिम्मेदारी से हटना क्यों चाहते हैं ? मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी से न हटें। प्रदेश सरकारों से सारे जो नियम-कानून आपने बनाये हैं, उसको लागू करने के लिए आप पहल करेंगे या नहीं ?

इन पाँचों बातों का आप स्पष्टीकरण दीजिए।

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra); Sir, at the outset, I thank you for giving me a chance to ask some clarifications. I have to submit to my hon. colleagues who were asking for a better sugarcane price; One has to be a little bit rational. Sugarcane price phenomenon is dependent on the success of the industry. Sir, I represent the co-operative sector; I do not represent the private sector. But I do believe that the sugarcane growers who are the members of cooperatives are the partners in this endeavour. Sir, the hon. Members asking for a better sugarcane price, for dues etc., is quite justified. But it seems to me that we are losing the rationale here and allowing the Government to adopt an *ad hoc* policy on sugar. Sugar is sweet, but the entire *ad hocism* in the Government has created the problem and given it a bitter taste. Sir, I know that you will perhaps ask me to ask questions only.

I do not want to go into theory etc. everybody has said whatever he wanted to. I think there is talk at present that perhaps by the end of 1982-83 production will be of the order of 33 lakh tonnes and the total cost envisaged will be something like Rs. 1700 crores, a fantastic figure, and it is beyond the means of the sugarcane co-operatives or even the private sector to cope with this task. Sir, I want the Minister to confirm whether an Expert Group headed by the Union Finance Secretary is now undertaking a fresh review and whether the report has been received. Sir, it is also true that the Prime Minister has been approached by the sugarcane growers as well as sugar factory owners—when I say 'sugar factory owners', I mean both the sectors—for review of the sugarcane policy, particularly in regard to the increase in price of levy sugar. Sir, I say this because, at present. What ever you may say, we are giving about 300 pounds of nitrogen to sugarcane otherwise the crop cannot yield this much. See the plight of UP, eastern UP, or Bihar, or even Haryana. Their yield is too low. But on our side we use 300 pounds of nitrogen as a nutrient for the sugarcane. And that is the basic reason why prices of sugarcane are unremunerative at present; and that is why the sugar price is also unremunerative. This morning also we were discussing this point. I would request the hon. Minister one thing. If you really want to see that increased production is sustained in this country, it cannot be done unless the input prices are brought down. It is what you call a cosmetic business. If I suggest to you that the sugarcane price should be raised, because some friend of mine just now said that you increase the levy price, so increase the sugarcane price, these mills will go into liquidation along with the Government because there will be nothing remaining for the sugarcane growers. Though the Minister is the Minister of Food, he has to apply his mind to a total perspective of the sugar policy; and in that sugar policy the input prices

[Shri A. G. Kulkarni]

have done greater damage to the present position of the sugarcane growers as well as sugar factories. So, in this connection I want to know whether any study has been made by these two committees, one appointed under the chairmanship of the Secretary (Finance) and the other appointed by the Reserve Bank of India itself, for financing the sugar buffer stock and whether they have given any suggestion on this matter.

Sir, as the Minister is quite aware, at present the *ad valorem* excise duty works out to something about Rs. 50 plus Rs. 16 and Rs. 14, that is, Rs. 30. The total incidence of the Government duties, the State as well as the Central comes to Rs. 85. And there is scope to reduce this. Otherwise, this present crisis cannot be resolved. I, Sir, enjoin on the Minister of Food that it is a crisis. As my friends have rightly stated, there are some bowels of extra sugar production and there are some bowels of deficiency. And whenever the deficiency is there, the sugar price rises to Rs. 16 per kilogram. Sugarcane at present is being sold at 29 paise per kilogram. Is it a price? Even tomatoes are sold at Rs 6 to Rs. 8 per kilogram. Even another earth, is not available for 20 naye paise. You have to pay something more.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU (Andhra Pradesh): The firewood is sold at Rs. 7/-.

SHRI A. G. KULKARNI: I am not going to burn anything. I have to produce more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not listen to him.

SHRI A. G. KULKARNI: If this is the position, how are you going to have a rational sugar policy? For that purpose the excise duty and the cess, you have to reduce, Mr. Minister. Whatever you hear, do not throw in "the lap" of Mr. Mukherjee. Do not say,

"I will request him to do this and that." Be rational. We are in a crisis, Mr. Azad. Let me bring it to your notice. You are handling it. You know it better than I know. So, the *ad valorem* pricing system has to be done away with. And whatever you may do, unless you reduce the excise duty, it will not help. Otherwise, the levy price will have to be increased again. My friend, Mr. Suraj Prasad, and all other friends will ask for an increase in the price of sugarcane. This is a vicious circle. The President of the national co-operative organisation has demanded a rise of 25 paise per kilogram of sugar.

The last point I want to know is this. The massive buffer stock operation, you have done. The Government agreed for the buffer stock. I fought for it here for the last 17 years, that the buffer stock should be there. But what have you done? In Marathi there is a saying that a person killed a serpent through his guest who had come to his house. The serpent was killed by a guest who had come to his house. So, the host has not done anything. Similarly, who finances the buffer stock? Do you finance it? Have you given a single farthing? We are paying the interest for the buffer stock at 19 per cent. Now it has been reduced to 16 per cent or something like that. So, at least will you pay for the buffer stock? We will stock. There is no stocking arrangement. You take it and keep it in your warehouses. We do not mind. Unless the buffer stock is financed by the Government, that much pressure of about Rs. 1,700 crores will not be reduced, and unless this burden is reduced, the sugar-cane price cannot be increased.

And the last point I want to mention, Mr. Minister, is this. There is a little bit of irrationality—I do not want to say politics or anything—in releasing sugar every month. Whenever these festival seasons are there, you release more. That one can understand. But whatever you may, the average price realised by a cooperative

sugar factory has gone to such a low level that we cannot even pay Rs. 200 per tonne of sugarcane received from our members.

So I draw your attention to these points.

श्री भागवत शा आजाद : माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने चीनी उद्योग के संबंध में बहुत स्पष्ट और सीधे आंकड़े दिये हैं। मैं उन को दोहराना नहीं चाहता। उन आंकड़ों में थोड़ा सा फर्क है इधर उधर, लेकिन मुख्य बात यह है कि जो मुख्य प्रश्न हैं वह हमारे सामने हैं और मैं उन का ही जवाब देने का प्रयास करूंगा।

प्रथम तो उन्होंने कहा है कि ए पी सी की कीमत और हमारी सरकार की कीमतों में फर्क है। मैं उन से कहना चाहता हूं कि अगर 1967 से लेकर आज तक के आंकड़े लें तो प्रायः सभी वर्षों में, कुछ वर्षों को छोड़ कर केवल 6 वर्षों को छोड़ कर, हम ने हर वर्ष में उन की सिफारिश को माना है। अभी अंतिम दो वर्ष का जो प्रश्न है, उन्होंने 13.50 रिकवरी पर निर्भर करते हुए कीमत तय की थी और दो रुपये उन्होंने अलग से रखे थे ट्रांसपोर्ट के लिये। सरकार ने 13 रुपये माने और 2 रुपये ट्रांसपोर्ट जो उन्होंने कहे, इस से उन की बचत निकल जाती है। इस लिये हम ने जो कीमत 8.5 प्रतिशत रिकवरी पर 13 रुपये रखी है यह स्टैचुअरी मिनिमम प्राइस है। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप बीच में मत खड़े होइये।

श्री भागवत शा आजाद : और यह हो सकता है कि मैं आप के मन के अनुरूप और ज्ञान के अनुरूप जवाब न दे पाऊं, लेकिन मैं अपनी योग्यतानुसार

कोशिश करूंगा कि जो बातें सरकार को कहनी हैं वह कह दूं। यह संभव नहीं है कि आप मेरी सब बातों से सहमत हों और यह भी संभव नहीं है कि सरकार आप की सारी बातें मान ले, लेकिन जो मुझे कहना है उसे आप सुन लें। अब स्थिति यह है कि सरकार ने जो 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर जो कीमत दी है स्टैचुअरी प्राइस उस के आधार पर कीमतें होनी चाहिए 17.40 रुपये से 18.85 रुपये तक। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कीमतों को 20.50 और 21.50 रुपये रखा और बिहार की सरकार ने 20.50 रुपये रखा। इस पर आप का और हमारा मतभेद रहेगा। केन्द्रीय सरकार यह कहना चाहती है कि वह देश के शुगर व्यवसाय को देखते हुए, वह देश में उपभोक्ता की आवश्यकता को देखते हुए लेवी चीनी की कीमत उसने 3.75 रुपये रखी है सम्पूर्ण देश में, जिस पर वह सब्सिडी देती है और यह देखती है कि चीनी उद्योग चलता रहे। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि चीनी मिलों को बड़ा नफा हो रहा है। पता नहीं उन का अर्थ शास्त्र क्या है। यह मैं नहीं जानता। हम लोग मिलों के पक्ष में नहीं हैं। हम सम्पूर्ण चीनी उद्योग को उपभोक्ता की दृष्टि से, गन्ना उत्पादकों की दृष्टि से और जो इस उद्योग में अदायगी करने की क्षमता है उस दृष्टि से तापते और आंकते हैं और यह समझते हैं कि जो स्टैचुअरी मिनिमम प्राइस हम ने रखी है 13 रुपये को वह उपयुक्त है। सच तो यह है कि आज सम्पूर्ण देश में जितना गन्ना उत्पादित होता है उस का 33 प्रतिशत ही हमारी मिलों में जाता है। बाकी बड़ा प्रतिशत खंडसारी और गुड़ में चला जाता है जिस की कीमत तय करना राज्य सरकारों के अधिकार में है। वह करती नहीं है। सिर्फ आंध्र

[श्री भागवत झा आजाद]

प्रदेश की सरकार ने किया है और किसी ने नहीं किया है और वह आज भी 33 प्रतिशत मिलों को जाता है और बाकी जो है वह खंडसारी या गुड़ में जाता है और उसमें उन को लाभ हो रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि आप ने प्रश्न पूछा है कि आप ने दो तरह की कीमतें क्यों रखी हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ए पी सी ने जो सिफारिश की है और जो फर्क है उस के बारे में सरकार के पास और भी विशेषज्ञ हैं और तमाम विशेषज्ञों की बात सुनकर उन्होंने इस कीमत को रखा। इसीलिये उत्तर प्रदेश की पांच मिलों में जो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत हैं, उनमें केन्द्र द्वारा जो निश्चित गन्ना मूल्य है 17.40 रु० से 18.85 रु० यही हम दे सकते हैं और यही दे रहे हैं। राज्य सरकारें उन कीमतों को अधिक कर दें, इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि इसके लिये यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें इस बात को सोचें कि सबों से बात करके जब एक प्राइस निश्चित की जाती है तो उस पर अमल किया जाये। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकारें गन्ने की कीमत को प्राविजनल एडवांस के रूप में देती हैं इस शर्त पर कि जब गन्ने की पिराई समाप्त हो जायेगी तब भागव फार्मूले के अनुसार 50-50 प्रतिशत के आधार पर उनकी अदायगी की जायेगी। इन दो राज्यों में भुगतान का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न आपने ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का अधिक है। प्रतिशत भी आपने जो कहा वह ठीक है जब कि ऐवरेज हिन्दुस्तान का 28 है। बिहार में 24.76 करोड़ है, इसका प्रतिशत 76.1 है, उत्तर प्रदेश में यह 42.3 प्रतिशत है। प्रश्न यह है कि जो अदायगी करने के लिये आप मुझे कहते हैं, मैंने

भी अपना तरफ स बार-बार पत्र लिखा है। आप कहते हैं कि संविधान के अन्तर्गत यह है और आप उसका आधार मत लीजिये। तो मैं क्या कहूँ। संविधान के अन्तर्गत जो राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त हैं उनको छोड़कर कुछ कहूँ? तो मैं केन्द्र सरकार की तरफ से बराबर कोशिश करता हूँ राज्य सरकारों पर दबाव डालकर कि उनका पेमेंट किया जाये। यह राज्य सरकारों और मिलों की सहमति से होता है। इसलिये कि मिलों को भी कीमत देनी है और सरकार किसानों को भी सही कीमत देना चाहती है। इसलिये स्टेट एडवाइज्ड प्राइस तय होती है। हम यह भी मानते हैं कि चौदह दिन के बाद गन्ने की कीमत न मिले तो उसका सूद देना चाहिये। हम यह कहते हैं, कहते रहते हैं कि उनको पहले प्रिसिपल दीजिये और फिर सूद दीजिये। उनकी कठिनाइयों को मैं कम नहीं आंकना चाहता हूँ, वह कठिनाई है और अच्छा हुआ कि आपने इस सदन में भी और उस सदन में भी ध्यानाकर्षण किया संघ सरकार और राज्य सरकारों का।

आपने ऐक्साइज ड्यूटी के बारे में कहा। इस सम्बन्ध में मैं अधिकारपूर्वक नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अधिकार-पूर्वक आपकी राय को उनके सामने रख सकता हूँ कि कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिये।

SHRI A. G. KULKARNI: How are you going to find the way for it? You are only going to inform them. Yours is the parent Ministry. You will inform Mr. Pranab Mukherjee. What is the use?

श्री भागवत झा आजाद : पैरेंट मिनिस्ट्री का इतना ही काम है। पैरेंट का काम यह है कि अधिकार जो अदत्त हैं संविधान के अन्तर्गत उसके अनुसार कार्य करें। मैं उसका दोषी बनना नहीं चाहता कि संवैधानिक अधिकार की ध्व

हेलना कर रहा हूँ। आप कहें तो क्या मैं डंडा लेकर स्टेट में जाऊँ? मैं उनको लिखूंगा, आग्रह करूंगा, दबाव डालूंगा। उसी प्रकार से मैं बराबर यह बात कहूंगा जो मुझे कहनी है क्योंकि आखिर कहीं तो समस्या का समाधान करना चाहिये। तो सिवाय इसके मैं क्या कर सकता हूँ। ऐक्साइज ड्यूटी के बारे में इसके पहले भी बात हुई थी, बजट में वित्त मंत्री ने ऐक्साइज ड्यूटी में रिलीफ दिया है। परचेज टैक्स राज्य सरकारों ने इनफार्मल मीटिंग में सहमति की थी कि नहीं लेंगे। इस रास्ते से कुछ न कुछ कम होंगी। आपने जो सुझाव दिया है वह हम करेंगे। इसलिये इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किया कि सेंट्रल मिलें सबसे ज्यादा दोषी हैं और सबसे अधिक इन्हीं के यहां बकाया है यह बिल्कुल गलत है। मैंने बताया कि 42.3 परसेंट उत्तर प्रदेश का है, 73 परसेंट बिहार का और केन्द्रीय सरकार का 10 परसेंट। जो लिमिटेशन में है उसी के अन्तर्गत यह है। आपने पांच मिलों की बात कही। अयोध्या मिल के बारे में मैंने बताया कि हमने उसको पूरी पेमेंट दे दी है। बाकी एक मिल बबनन है। इसको 60 लाख देना है और 44 लाख दे दिया। यही एक मिल है जिसको अभी कुछ देना है। बाकी तीन मिलें जो हैं लक्सर, बेतरलपुर और देवरिया ये मिल किसी भी वक्त पूरी राशि देने को तैयार हैं। लेकिन वहां के किसान यह कहते हैं कि हम यह कीमत नहीं लेंगे। हमें राज्य सरकार की ऐडवाइज की कीमत दीजिये। इसलिये हमने कहा कि केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार हम देने को तैयार हैं।

जा यह कहा गया कि हम सबसे अधिक दोषी हैं यह बात गलत है। एक ने दे दिया है और दूसरे के पास बहुत कम बकाया है। एक हमने बताया कि एक मिल बबनन जो है इसके पास 30 परसेंट बकाया है। तीनों मिलें किसी भी वक्त देने को तैयार हैं। हमने उनको कहा है कि हम इससे अधिक नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश और बिहार के शुगर इंडस्ट्रीज की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है इससे इस बात का संकेत मिलता है कि अगर आपने कहीं दबाव में कीमत ज्यादा करवा दी जितना वह उद्योग वहन कर सकें तो आपको इस कठिनाई को वहन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने जो किया है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

SHRI A. G. KULKARNI: What happened to those Committees and the demand for a price rise?

श्री भागवत श. आज़ाद : मैंने बताया कि कमेटियां अलग-अलग बनती हैं...

श्री राम नरेश कुशवाहा : उत्तर प्रदेश की 86 मिलें दे सकती हैं...

श्री उपसभापति : दे रहा है ?

श्री भागवत श. आज़ाद : यही तो रोना है नहीं दे रहे हैं।

श्री राम नरेश कुशवाहा : रोना नहीं है। आपको देना चाहिये। जब सब दे रहे हैं। एग्रीड दाम जब सब दे रही हैं तो आपको भी देना चाहिये।

श्री उपसभापति : इसका जवाब हो गया। आप बैठ जाइये।

श्री भागवत झा आजाद : कमेटियां बहुत बनती हैं मंत्रालयों के अन्तर्गत। जो कमेटियां किसी नियम के अन्तर्गत बनती हैं, उन कमेटियों की रिपोर्ट के बारे में हम बता सकते हैं लेकिन किसी मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक या विशेषज्ञों की राय के लिये कमेटी बनाई और उसकी कोई रिपोर्ट है, तो उसके बारे में कुछ कहना मेरे लिये संभव नहीं है। रिजर्व बैंक ने कोई कमेटी बनाई और आप कह दें कि उसकी रिपोर्ट दे दूँ तो यह मेरे लिये बताना संभव नहीं है।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa): Why cannot you have a uniform price policy?

SHRI A. G. KULKARNI: What about buffer stock?

श्री भागवत झा आजाद : आप सुनिये। हर बार क्यों उठ जाते हैं। एक भी प्रश्न मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक-एक करके सब प्रश्न नोट कर लिये हैं इसलिए एक भी नहीं छोड़ूंगा। बफर स्टॉक के संबंध में हमारी जो नीति है उस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने पांच लाख टन रखने का बफर स्टॉक बनाया है। उसके लिये 100 परसेंट क्रेडिट उसको देंगे। प्रॉटेक्टा बेसिस पर हर मिल को मिलेगा। उबला इन्टररेस्ट भी देंगे। अगर आप यह समझते हो कि सारा कैरी-आवर बफर हो जाए, तो सारी अर्थव्यवस्था साफ हो जायेगी।

श्री पर्रवरे तोगे कुलकर्णी : बहुत अच्छा किया आपने।

श्री भागवत झा आजाद : उन पर हम 100 परसेंट क्रेडिट देंगे जमा करने के लिये और चुद भी देंगे। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। यह अच्छी बात है कि एक बात के ऊपर आर प्रश्न हुये। सहमत हुये।

SHRI A. G. KULKARNI: A 25 paise price rise has been demanded by the National Federation per kilogram of sugar.

श्री भागवत झा आजाद : यह तो हर तरफ से मांग है कि गन्ने के उत्पादक को अधिक चाहिये। मिल के अधिकारी को भी अधिक चाहिये। तो हमको तो कहीं न कहीं संघि स्थल पर पहुंचना ही होगा। जिस संघि स्थल पर उद्योग भी जिन्दा रह सकें, कंज्यूमर को भी अधिक दाम न देने पड़ें, उस पर हमें पहुंचना होगा। अभी हम जो चीनी दे रहे हैं वह लेवी शुगर है और वह सबसोडाइज्ड ब्राइट पर है। एक्चुअल प्रोडक्शन जो होती है उस पर खर्च अधिक होता है। 65 परसेंट हम मिलों से लेते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 35 परसेंट की जो कीमत फिक्स की जाती है वह भी सब नियम से की जाती है। आपने कहा कि जो चीनी रिलीज की जाती है वह इररेशनल है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। हम बाजार में जो फ्री शुगर रिलीज करते हैं वह इस अन्दाज की जाती है कि फेस्टिवल सीजन है तो जरूर ज्यादा चीनी रिलीज की जाती है। नान-फेस्टिवल सीजन में कम करते हैं। हम यह चाहते हैं कि 35 परसेंट जो फ्री सेज शुगर है उसमें इतनी कीमत मिले कि 65 परसेंट पर हम जो कमा किये हुये हैं उसका सैंक-प्रश हो जाए। लेकिन यह हो नहीं पाता है। अभी बाजार में फ्री शुगर की कीमत को लें तो पता चलेगा कि फ्री शुगर लगभग 5 रु० से ऊपर नहीं जाती है। आज भी वह 4.25 और 4.60 या 4.65 रु० के बीच में रहती है। फेस्टिवल सीजन और नान-फेस्टिवल सीजन को देख कर चीनी रिलीज की जाती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपका यह पहला प्रश्न कि अदायगी की जानी

चाहिये, हम उससे मुकर नहीं रहे हैं। यह अदायगी करनी है और दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा कि वित्त मंत्री से कहा जाना चाहिये, मैं यह कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री भी इस संबंध में जागरूक हैं। सदस्यों ने प्रधान मंत्री जी से मिलने के लिये समय मांगा है। वह भी ठीक है। हर तरह से सरकार प्रयास करती है और उनके ऊपर दबाव डालती है। मैं यह भी बता दूँ कि तीन चार महीनों में जब लार्ज स्कोल पर क्रेडिट होती है तो इस समय बकाया भी बढ़ जाती है। उसके बाद कमी होने लगती है। उसी के अनुसार अन्त में पिछले वर्ष वह 4.2 प्रतिशत रह गया है। जैसे-जैसे सीजन कम होता जाता है या आउट हो जाता है तो वह कम हो जाता है। हमारा विश्वास है कि वह कम होता जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है।

दूसरी बात आपने उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कही है और उन राज्यों को सहायता दिलाने की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में आप भी जोर लगाइये, मैं भी जोर लगाता हूँ। उसके बाद आपने गन्ने के पिराने की बात कही। जहाँ तक गन्ना पिराने का सवाल है, पिछले साल गन्ना काफी देर तक पिराया गया और इसके कारण इस बार कहीं-कहीं पर 15 दिन या एक महीने की देर हुई। पिराने के बाद मिलों को पूरे दो महीने मैनटेनेंस के लिये खर्च करने पड़ते हैं। हम यह जरूर चाहेंगे कि बोण्डेड शुगर अगर पिराने के लिये बच जाय तो सीजन के बाद भी उसको पिराया जाय। इस बार हम उनसे कहेंगे कि देर तक पिराई की जाय और सब खत्म किया जाय। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से जो मुख्य प्रश्न उठाये गये थे उनका उत्तर मैंने दे दिया है।

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, what about the dual pricing system? He has not said anything about it.

श्री राम नरेश कुशवाहा : आपने पिछले साल का बकाया बताया है। इस साल कितना बकाया है, यह नहीं बताया है। उत्तर प्रदेश के संबंध में भी आपने कुछ नहीं बताया है।

श्री उपसभापति : उन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम दबाव डालेंगे।

श्री राम नरेश कुशवाहा : मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं, वे इस साल कितना बकाया है, उसका जवाब दें... (व्यवधान)। अगर वे जवाब नहीं देते हैं तो मैं चला जाता हूँ। अगर वे जवाब नहीं दे सकते हैं तो हम यहां पर बेकार ही बैठे हैं।

(इसके बाद माननीय सदस्य सदन से चले गये)

REFERENCE TO THE REPORTED BAD QUALITY OF WHEAT AND SUGAR BEING SUPPLIED BY THE F.C.I. GODOWN AT DARBHANGA

श्री हुसैन देव नारायण यादव : (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में कह रहा हूँ कि बिहार में जो सकाल पड़ा हुआ है उसको देखते हुये राज्य सरकार की जितनी मांग है केन्द्रीय सरकार से उतना नहीं मिल रहा है और केन्द्रीय सरकार के एफ.सी.आई. के गोदाम से जो गल्ला मिलता है, जो गेहूं है वह खाने के लायक बिल्कुल है ही नहीं। मैं जब अपने घर पर गया तो, हमारे गांव में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से गेहूं दिया जा रहा है, जो चीनी दी जाती है, उस गेहूं और चीनी को मैं कहां दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ, वहां लाऊंगा तो आप कहेंगे कि यहां रखिये मत, मैं इसको दिखाऊँ कैसे। इसमें देखिये पत्थर और शीशे के टुकड़े इस गेहूं में मिसे हुये हैं। यह गेहूं बिल्कुल